सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. Tour Programme/VC/17/2017/RU-III

6th floor, B Wing Loknayak Bhawan,
Khan Market,
New Delhi-110003
Dated: 20st September, 2017

To,

1. The Chief Secretary,
   Government of Madhya Pradesh,
   Bhopal (Madhya Pradesh)

2. The Secretary,
   SC & ST Welfare Department,
   Govt. of Madhya Pradesh,
   Bhopal, (Madhya Pradesh)

3. The Director General of Police,
   Government of Madhya Pradesh
   Bhopal (Madhya Pradesh)

4. Collector,
   District-Gwalior,
   (Madhya Pradesh)

5. Collector,
   District-Shivpuri
   (Madhya Pradesh)

6. Collector,
   District- Sheopur,
   (Madhya Pradesh)

Sub: Tour Report of Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) to visit Districts-Gwalior, Shivpuri & Sheopur (Madhya Pradesh) from 19th July, 2017 to 22th July, 2017.

Sir/Madam,

I am directed to enclose herewith copy of tour report of Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson, NCST to visit Districts-Gwalior, Shivpuri & Sheopur (Madhya Pradesh) from 19th July, 2017 to 22th July, 2017 for information and necessary action.

Yours faithfully,

(S.P. Meena)
Assistant Director

Copy for information and necessary action to:

1. The Research Officer, National Commission for Scheduled Tribes, Regional Office Bhopal, Room No.309, Nirman Sadan, CGO Building, 52-A, Area Hills, Bhopal-462011(Madhya Pradesh)

2. NIC, NCST uploaded on the web site.

-:: TOUR – REPORTDATED 19/07/2017 TO 22/07/2017 ::-

{DISTRICT CHHINDWARA M. P.} जिला छिन्दवाडा मध्यप्रदेश म.प्र.

सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार

सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार द्वारा आयोग मुख्यालय के बेतार संदेश संख्या TP/VC/NCST/2017/20 दिनाँक 14/07/2017 के अनुसार दिनाँक 19 जुलाई 2017 से 22 जुलाई 2017 तक जिला ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर (मध्यप्रदेश) का प्रवास किया गया।

आयोग मुख्यालय द्वारा प्रवास की विधिवत सूचना मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिरीक्षक, संबंधित जिले के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक तथा आयोग के मध्यप्रदेश स्थित भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक निदेशक एवं अन्य सर्व–संबंधितों को सूचित किया गया।

प्रवास का विस्तृत तिथिवार विवरण इस प्रकार से है :-

दिनाँक 19 July 2017 Wednesday

1) रेलमार्ग से प्रस्थान कर दिल्ली – ग्वालियर आगमन, रात्रि विश्राम शासकीय विश्राम भवन ग्वालियर। इस प्रवास के दौरान सुश्री सुकेसी ऊँराव, पूर्व अध्यक्ष ट्रइफेड भी उपस्थित थी। श्री राकेश दुबे, सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल उपस्थित थे।

पूर्वान्ह दिनाँक 20/07/2017 - Thirsday

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

2) ग्वालियर में ग्वालियर संभाग की संभागीय उपायुक्त श्रीमती ऊषा अजय सिंह, आदिवासी विकास विभाग तथा अन्य अधिकारियों से संक्षिप्त मुलाकात की गई। संभागीय उपायुक्त द्वारा विभागीय गतिविधियों की मौखिक जानकारी प्रदान की गई। साथ ही उनके प्रभार के जिलों शिवपुरी एवं श्योपुर की भी विभागीय गतिविधियों से अवगत कराया गया।

3) निर्धारित समय पर ग्वालियर से प्रस्थान कर शिवपुरी विश्राम भवन आगमन। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार श्री महेश आदिवासी के साथ बड़ी संख्या में लगभग 300-400 आदिवासी महिलाओं एवं पुरूषों ने उपस्थित होकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया।

4) सर्वप्रथम उपस्थित सहरिया जनजाति के व्यक्तियों को तथा अन्य उपस्थित नागरिकों को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की कार्यप्रणाली, उसकी गतिविधियों, आदिवासियों के संरक्षण के लिये एट्रोसिटी एक्ट में दी जाने वाली सहायता उसके प्रावधान इत्यादि के संबंध में जागरूक किया गया और उनसे अपील की गई कि वे अपने अधिकरों के प्रति जागरूक हों, शिक्षित होकर अपना जीवन सफल करें।

5)

(विश्रामभवन शिवपुरी में सहरिया जनजाति जनता एवं प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए सुश्री अनुसुईया उइके)

6) साथ ही संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास ग्वालियर, आवश्यकता पड़ने पर जिला आपूर्ति अधिकारी, प्रभारी सहायक आयुक्त शिवपुरी, तहसीलदार शिवपुरी एवं अन्य अधिकारियों को भी विश्राम भवन में बुलाया गया तथा समस्याओं एवं शिकायतों का निराकरण करने का प्रयास किया गया।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

7) शिवपुरी जिले में सहरिया जनजाति के, जो कि अतिपिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आती है, आदिवासी निवासी करते हैं जिनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है। इनके विकास की अपार संभावना इस जिले में मौजूद हैं।

8) सहरिया आदिवासियों एवं अन्य उपस्थित व्यक्तियों द्वारा अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए उनके निराकरण के लिये अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत एवं अन्य योजनांतर्गत **आवास के 15** आवेदन (जो कि सामूहिक आवेदन है जिसमें 200 से 300 आवेदक होने की संभावित हैं)।

9) उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत आदिवासियों को प्राथमिकता के आधार पर आवास आवंटन का विशेषरूप से प्रावधान किया गया है किन्तु योजना का लक्ष्य कम होने की वजह से उन्हें आवास प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया कि सहरिया जनजाति के लिये विशेष कोटा का कोई प्रावधान नहीं है इसलिये उन्हें आवास नहीं मिल पा रहे हैं। इस संबंध तत्काल आवश्यक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

10) शिवपुरी जिले में आदिवासियों की भूमियों पर दबंग एवं सम्पन्न व्यक्तियों द्वारा अवेध कब्जे की अनेकों शिकायतें हैं। **अवैध कब्जे** हटाने के संबंध में करीब **10 आवेदन पत्र** प्राप्त हुए हैं (जो कि सामूहिक आवेदन है जिसमें **100 से 200** आवेदक होने की संभावित हैं)।

11) यह केवल नाममात्र की संख्या प्रतीत होती है। क्योंकि आदिवासी में जागरूकता की कमी है और जो व्यक्ति विश्राम भवन पहुँचें उनके द्वारा यह अवगत कराया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत से गरीब व्यक्ति विश्राम भवन तक पहुँच नहीं पाए होगें। आदिवासियों की भूमि पर अवैध कब्जें की घटनाओं / मामलों की व्यापक रूप से जॉच एवं कार्यवाही की आवश्यकता है।

12) आदिवासियों द्वारा अवगत गया कि गरीब सहरिया आदिवासियों को पूर्व में वर्षा एवं उनके झोपड़े बरसात में छत विहीन होने, गिरने, टपकने, इत्यादि से बचाने के लिये बॉस बल्ली, त्रिपाल इत्यादि अनुदान के रूप में दिया जाता रहा है, किन्तु इस वर्ष प्राप्त नहीं हो पाए

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

हैं। इस संबंध में **6 आवेदन** प्राप्त हुए हैं तथा मौखिक रूप से अनेकों आदिवासियों द्वारा अनुरोध किया गया है।

13) गरीबी रेखा एवं अति गरीबी की रेखा की सूची में अनेकों आदिवासियों के नाम दर्ज नहीं हैं। उपस्थितों द्वारा अपने नाम जुड़वाने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में **लगभग 6 आवेदन पत्र** प्राप्त हुए हैं जोकि सामूहिक आवेदन पत्र हैं और वास्तविक आवेदकों की संख्या अधिक है। इसके अतिरिक्त अनेकों व्यक्तियों द्वारा मौखिक रूप से भी अनुरोध किया गया।

14) चूँकि सहरिया जनजाति के व्यक्ति अतिगरीब, आवासहीन हैं और शासन की बहुत सारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिये गरीबी रेखा का कार्ड होना आवश्यक होता है, इसलिये इसके अभाव में उन्हें लाभ नहीं मिलता है। इसका परीक्षण करवाकर समुचित कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत हुई है।

15) उपस्थितों को गरीबी रेखा की सूची में नाम शामिल करवाने की प्रक्रिया की जानकारी भी प्रदान की गई और अपेक्षा की जाती है कि संबंधित शासकीय अधिकारी / विभाग अपने स्तर से पहल कर पात्रों के आवेदन जमा करवाकर उचित कार्यवाही शीघ्र करें।

16) अनेकों आदिवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उन्हें शासन द्वारा दी जाने वाली **परिवार सहायता** राशि जोकि मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति राहत योजना 2015 के अंतर्गत परिवार के कमाउ व्यक्ति की मृत्यु होने पर दी जाती है, वह प्राप्त नहीं हो पाई है। इस संबंध में परिवार सहातया के **8 आवेदन** तथा वृद्धावस्था विधवा पेंशन के **26 आवेदन,** विकलांग **पेंशन के 4** आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

17) श्रीमती रामश्री बाई आदिवासी पति स्वर्गीय श्री बटन निवासी टपरा विजरावन जनपद कोलारस जिला शिवपुरी द्वारा अवगत कराया गया कि उसे उसके पति के स्वर्गवास होने के कारण प्राप्त होने वाली तात्कालिक सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई है। संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त होने पर विलंव होना पाया गया जिसपर निर्देशित किया गया कि उसे तत्काल राशि प्रदान की जावे। निर्देश पर विभाग द्वारा उसे मौके पर विश्राम भवन में ही रूप्ये 5000 की सहातया राशि प्रदान की गई। उल्लेखित है कि राष्ट्रीय परिवार सहायता,

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, आकस्मिक मृत्यु होने पर परिवार को प्रदाय की जाने वाली राशि का वितरण समय पर किया जाना चाहिए क्योंकि यह मामला अति संवेदनशील और मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए।

18)

(विश्रामभवन शिवपुरी में सहरिया जनजाति महिला को सहायता राशि का वितरण करते हुए सुश्री अनुसुईया उइके)

19) इस प्रकार के सभी प्रकरणों को तत्काल निराकरण कर पीडितों को प्राप्त होने वाली राशि शीघ्र एवं भविष्य में समय पर प्रदान करने के हेतु निर्देशित किया गया।

20) जन सुनवाई में सहरिया जनजाति के व्यक्तियों द्वारा बड़ी संख्या में अवगत कराया कि वे वर्षो से वन भूमि पर काबिज हैं और उन्होंने भू-अधिकार अभिलेख (पट्टा) प्रदाय करने हेतु अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिये गये हैं किन्तु उन्हें पट्टा प्राप्त नहीं हुआ है। भू-**अधिकार अभिलेख प्रदान करने हेतु 22 आवेदन** प्राप्त हुए हैं। उल्लेखित है कि ये सामूहिक आवेदन पत्र हैं इनमें संभावित आवेदकों की संख्या अधिक होकर करीब 300 से 400 हो सकती है। इसके अतिरिक्त अनेकों सहरिया आदिवासियों द्वारा मौखिक भी अनुरोध किया गया कि उन्हें पट्टा प्राप्त नहीं हुआ है। पट्टा वितरण की प्रगति उपयुक्त प्रतीत नहीं होती है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। आयोग से कलेक्टर एवं मध्यप्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को लिखे जाने की आवश्यकता है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

21) कुछ सहरिया आदिवासियों ने अवगत कराया गया कि उन्हें बिना हस्ताक्षर के पट्टा प्रदान किया गया है, कुछ पट्टा संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जिनमें हस्ताक्षर नहीं थे, जाँच किये जाने की आवश्यकता है।

22) उपस्थित सहरिया जनजाति के एवं अन्य जन समुदाय द्वारा विभिन्न समस्याओं के जिनमें नौकरी, सचिव के द्वारा भ्रषचार, मध्यान्ह भोजन की राशि, सीमांकन आदि के करीब **39 आवेदन पत्र** प्रस्तुत किये गये, जिन्हें पृथक से आयोग के माध्यम कलेक्टर शिवपुरी को प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

23) जन सुनवाई में हैण्डपंप लगवाने के 5 आवेदन, राशन कार्ड बनवाने के 6 आवेदन, आदिवासी छात्रावासों में स्थान वृद्धि के 3 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिन्हें आयोग में संबंधितों को प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया गया है, आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

24) कुछ आदिवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उन्हें अतिगरीबी के अंतर्गत प्राप्त होने वाला राशन का कूपन प्राप्त नहीं हो रहे हैं। यह भी बताया गया कि विगत एकवर्ष से उन्हें राशन प्राप्त नहीं हो रहा है जो कि प्रशासनिक खामी एवं गैरजिम्मेदारी को प्रदर्शित करता है तत्काल आवश्यक कार्यवाही की आवश्यकता है।

25) यह भी जानकारी में आया कि कुछ छात्रावासों में अधीक्षक वहाँ पर निवास नहीं करते हैं, जिसकी वजह से छात्रों में सुरक्षा प्रभावित होती है। चिकित्सालय में राशि ली जा रही है। शिकायत में यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि भारती विद्यालय शिवपुरी के छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

26) ग्राम आमलपठार के अनेकों व्यक्तियों द्वारा शिकायत की गई कि उनके राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, संबंधितों को निर्देशित किया गया कि वहाँ पर कैम्प लगाकर राशन कार्ड बनाने की कार्यवाह की जावे।

27) ग्राम विनेगा तहसील जिला शिवपुरी के करीब 82 सहरिया आदिवासी परिवार लगभग 70 वर्षों से निवास करते हैं जिनके सदस्यों की संख्या करीब 415 है। शासन द्वारा सड़क, आंगनवाड़ी, शासकीय विद्यालय, सामुदायिक भवन, पंच चौपाल, पेयजल हेतु हैण्डपंप लगवाये

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

हैं। आदिवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास हेतु राशि प्रदाय की गई है, जिससे उन्होंने निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है।

28) इसी स्थान पर श्री बज्रानन्द द्वारा आश्रम निर्माण कर चारदीवारी बनाकर मंदिर का रास्ता, चारागाह बंद कर दिया गया है जिससे आदिवासियों को परेशानी होती है। आदिवासियों को उक्त भूमि से बेदखल करने, डराने धमकाने का कार्य किया जा रहा है।

29) इसके साथ ही आदिवासियों के निवास की ओर आवास के उपर और चारदीवारी पर बस्ती को ओर सी.सी.टी.वी. कैमरा लगा दिया गया है जिससे आदिवासी महिलाओं व लडकियों की निजी जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है और उनकी निजता भंग होती है। इस संबंध में उनके द्वारा लिखित में एक शिकायत प्रस्तुत की गई। मेरे द्वारा बैठक में तत्काल कैमरे हटवाने के निर्देश कलेक्टर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दिये गये थे, किन्तु कैमरों को हटाया नहीं गया।

30)

(सहरिया जनजाति ग्राम विनेगा शिवपुरी में बस्ती का निरीक्षण, चर्चा करते हुए सुश्री अनुसुईया उइके)

31) इस प्रकरण को आयोग में पृथक से नोटिस जारी कर आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रस्तुत किया गया है, कार्यवाही अपेक्षित है।

32) जानकारी प्राप्त हुई कि शासन द्वारा सहरिया जनजाति के पात्र युवकों को सहरिया भाषा के अध्यापन के लिये संविदा नियुक्ति प्रदान की गई थी किन्तु हटा दिया गया था। इस संबंध में निर्देशित किया गया कि इस प्रकरण को सहानुभूतिपूर्वक विचार निराकृत किये जाने की

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

आवश्यकता है क्योंकि किसी व्यक्ति द्वारा 10 वर्ष तक सेवा की हो और अब उसे सेवा से पृथक करने से उसका भविष्य अंधकार मय हो गया है। कार्यवाही अपेक्षित है।

33) प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि मनीखेड़ा बाँध निर्माण के समय किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था जिसके बदले में मिलने वाले लाभ आज तक किसानों को प्राप्त नहीं हुए हैं, शीघ्र कार्यवाही अपेक्षित है।

34) अवगत कराया गया कि वनाधिकार के अंतर्गत जो पट्टे दिये गये हैं, उनमें सीमांकन नहीं हुआ है, कब्जा नहीं दिलाया गया है जिसकी वजह से वे काबिज नहीं हो पाए हैं।

35) सहरिया विकास प्राधिकरण में पदाधिकारियों के पद रिक्त हैं जिसकी वजह से प्राधिकरण गठ्न की उपयोगिता ही समाप्त हो गई है। शीघ्र पदाधिकारियों की नियुक्ति कर नियमानुसार आवंटन प्रदाय किया जाना चाहिए। आयोग की ओर से इस संबंध में शासन को लिखा जावे।

36) आवेदिका **श्रीमती दौजो आदिवासी पत्नी श्री बारेलाल** ग्राम दुल्हारा, तहसील पोहरी जिला शिवपुरी द्वारा मुझे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदिका ने अपने आवेदन में अनुरोध किया है कि उसकी ग्राम नैनागढ मौजा तहसील पौहरी की भूमि सर्वे कमांक 216 रकबा 0.85 हैक्टेयर को बिकयपत्र के माध्यम से श्री अभय धाकड (नाबालिग) पिता श्री हाकम धाकड, श्री हाकम धाकड पिता श्री वंशी धाकड श्री सूखा पुत्र श्री खुसला, निवासी दुल्हारा ग्राम सरखण्डी तहसील कोलारस जिला शिवपुरी द्वारा आदिवासी बनकर बिकयपत्र सम्पन्न करा लिया गया है।

37) इस प्रकरण में बिकय पत्र, केता आदिवासी हैं अथवा नहीं, बिकेता को उसका मूल्य प्राप्त हुआ है अथवा नहीं, क्या केता द्वारा बिकेता आवेदिका को मारपीट की धमकी दी जा रही है, इन बिन्दुओं पर जाँच हेतु संबंधित विभागों को नोटिस जारी करने के लिये प्रकरण आयोग में प्रस्तुत किया गया है, कार्यवाही की जावे।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

38) **आवेदिका श्रीमती रेखा अध्यक्ष, श्रीमती रामकुंवर बाई, सचिव,** भोलेनाथ स्व–सहायता समूह ग्राम सीरबांसखेडी, तहसील शिवपुरी जिला शिवपुरी के खाते से अवैध तरीके से राशि का आहरण करने के संबंध में तत्काल कार्यवाही का अनुरोध किया गया।

39) आवेदकगणों ने अपने आवेदन में अनुरोध किया है कि संस्था की पूर्व सचिव **श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नी श्री अनिल आदिवासी,** जिसे कि समूह द्वारा विधिवत तरीके से कार्यवाही कर पृथक कर दिया गया था, के द्वारा अवैधानिक तरीके से स्व–सहायता समूह के सदस्यों के खाते से राशि का फर्जी व्यक्तियों को प्रस्तुत कर आहरण कर लिया गया है। यह कार्यवाही सीधे–सीधे गबन की श्रेणी में आता है।

40) इस प्रकरण में दोषी महिला एवं उसके सहयोगियों, बैंक अधिकारी, फर्जीरूप से बैंक में प्रस्तुत होने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल प्रकरण दर्ज कर आयोग से नोटिस जारी करने के लिये आवेदन आयोग में अनुशंसा सहित प्रस्तुत किया गया है।

41) आवेदक श्री रति पिता श्री हीरा, श्रीमती विद्या पति श्री रति एवं अन्य निवासी हुसैनपुर थाना बैराड़ जिला शिवपुरी द्वारा मुझे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदकगणों ने अपने आवेदन में अनुरोध किया है कि आरोपीगण श्री अमरसिंह यादव, श्री ब्रगभान यादव, श्री मुंशी यादव, श्री दलयान यादव, श्री गुन्दू यादव, श्री कल्याण यादव एवं एक अन्य व्यक्ति द्वारा दिनाँक 28 जून 2017 को बुरी तरह से मारपीट कर उसकी नाबालिक बच्चियों के साथ बदसलूकी एवं मारपीट की गई है। इसके साथ ही साथ अपशब्दों का प्रयोग भी किया गया है। आवेदकों द्वारा इस प्रकरण की संबंधित पुलिस थाने में दिनाँक 30 जून 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इस प्रकरण में आदिवासी एवं हरिजन एक्ट की धाराएँ लगाने तथा आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक को दिये गये।

42) यह प्रकरण अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ मारपीट एवं दुर्व्यवहार का है जो कि गंभीर प्रकृति का है। इस प्रकरण को आयोग में दर्ज कर नोटिस जारी करने हेतु आयोग

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

में पृथक से प्रस्तुत किया गया है। पुलिस अधीक्षक को शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

अपरान्ह दिनाँक 20/07/2017 - THURSDAY SHIVPURTI

43) निर्धारित कार्यक्रम अनुसार शिवपुरी कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में जिला प्रमुख अधिकारियों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कलेक्टर श्री तरूण राठी, आई.ए.एस, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, आयोग की ओर से श्री राकेश दुबे, सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, शिवपुरी जिले के सभी जिला प्रमुख इत्यादि उपस्थित हुए।

44) बैठक में सर्वप्रथम परिचय हुआ एवं मेरे द्वारा आयोग की कार्यप्रणाली, कार्य, अधिकार इत्यादि के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई।

45)

(कलेक्टर कार्यालय शिवपुरी में जिला अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेते हुए सुश्री अनुसुईया उइके)

46) विभाग द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं प्रगति की समीक्षा की गई। तदपरांत विश्राम भवन पूर्वान्ह में प्राप्त समस्याओं के संबंध में चर्चा की गई।

47) निर्देशित किया गया कि सहरिया जनजाति के जो सदस्य हैं, पात्र हैं उन्हें कैम्प लगाकार गरीबी रेखा के कार्ड का वितरण किया जाना सुनिश्चित करें।

Anusuiya

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

48) अति गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीबों के राशन के कूपन 4 माह से जनरेट नहीं होने के संबंध में अवगत कराया गया वस्तुस्थिति अवगत कराने के लिये कहा गया। कलेक्टर द्वारा अवगत विगत इस संबंध में भोपाल चर्चा की गई है और चार से पॉँच दिवस में समस्या का निराकरण हो जावेगा और सभी पात्र व्यक्तियों को कूपन जारी कर दिये जावेंगे।

49) वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत भू-अधिकार पत्र प्रदान करने के संबंध में अवगत कराया गया कि जिले में लगभग 17773 आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें से करीब 14178 को निरस्त कर दिया गया है। निरस्त का कारण कब्जा सिद्ध नहीं होना और दस्तावेज उपलब्ध न होना पाया गया है। पीडीएस सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के उपरांत पात्र व्यक्तियों को अभियान चलाकर एक माह में निराकरण कर दिया जावेगा।

50) लंवित आवास आवंटन के संबंध में अवगत कराया गया कि शासन से लक्ष्य कम प्राप्त होने के कारण ऐसा होता है। मेरे द्वारा निर्देशित किया गया कि सहरिया जनजाति के सभी व्यक्ति विशेष प्रावधान के अंतर्गत आवास के लिये पात्र हैं और इनके लिये विशेष आवंटन भी होता है। तदानुसार कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टर को दिये गये।

51) अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज आपराधिक प्रकरणों की जॉँच एवं अभियोजन की प्रगति की जानकारी ली गई एवं त्वरित गति से इनका निराकरण के निर्देश दिये गये।

52) अंत में कलेक्टर शिवपुरी को उपरोक्त सभी समस्याओं के निराकरण के लिये अपेक्षित कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया गया।

53) निर्धारित कार्यक्रम अनुसार शिवपुरी से श्योपुर के लिये प्रस्थान रात्रि विश्राम विश्राम भवन श्योपुर में।

पूर्वान्ह दिनॉंक 21/07/2017 - FRISDAY SHEOPUR

54) विश्राम भवन में आंगतुकों, जनजाति प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना गया।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

55) कलेक्टर कार्यालय श्योपुर के सभाकक्ष में जिला प्रमुखों के साथ बैठक का आयोजन किया गया जिसमें कलेक्टर श्योपुर श्री पी.एल.सोलंकी, आई.ए.एस., श्री बी.सी.गर्ग. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, पुलिस अधीक्षक श्री शिवदयाल सिंह, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, आयोग की ओर से श्री राकेश दुबे, सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, शिवपुरी जिले के सभी विभागों के जिला प्रमुख इत्यादि उपस्थित हुए।

56) बैठक में सर्वप्रथम परिचय हुआ एवं मेरे द्वारा आयोग की कार्यप्रणाली, कार्य, अधिकार इत्यादि के संबंध में विस्तार से सभी अधिकारियों को जानकारी प्रदान की गई।

57)

(जिला श्योपुर कलेक्टर कार्याल्य में समीक्षा बैठक लेते हुए सुश्री अनुसुईया उइके)

58) विभाग द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं प्रगति की समीक्षा की गई। तदपरांत विश्राम भवन पूर्वान्ह में प्राप्त समस्याओं के संबंध में चर्चा की गई।

59) मेरे द्वारा निर्देशित किया गया कि आदिवासियों के साथ होने वाले अत्याचारों में एट्रोसिटी एक्ट की धाराएँ परीक्षण कर अवश्य ही लगाई जावें ताकि एक्ट के तहत प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता भी पीड़ित को मिल सके।

60) श्री पी.एल.सोलंकी, आईएएस कलेक्टर, श्योपुर द्वारा सहरिया आदिवासियों के उत्थान के लिये उनके पूर्व के कार्यकाल में संचालित **समूह सिंचाई योजना** का विवरण स्लाईडशो के माध्यम से प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार –

A. इस योजना का स्थानीय स्तर पर समूह सिंचाई योजना नाम दिया गया था।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

B. फल–फूल, साग–भाजी के उत्पादन के लिये उदवहन सिंचाई एवं पेयजल सहकारी संस्थाओं का ग्राम–पंचायतवार गठन कर तीन से पाँच आदिवासी कृषकों के समूह बनाकर विद्युतीकरण, नलकूप खनन, खाद–बीच की उपलब्धता एवं अन्य कृषि सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई जिससे हमारी भूमि पर दबंग व्यक्ति पुनः कब्जा नहीं कर सके और हम एकजुटता के साथ खेती कर अपने परिवार का भरण–पोषण कर रहे हैं।

C. इस योजना में श्योपुर जिले में कुल 47 समिर्यों का गठन किया गया था, जिसमें 14 समितियों में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कराया गया।

D. इन समितियों में 275 समूह के 1065 सहरिया किसानों को लाभांवित किया गया था।

E. समितियों के माध्यम से विद्युतीकरण कराए जाने पर विद्युत विभाग के प्रांक्कलन राशि रूपये 459.65 लाख के विरूद्ध मात्र 168.38 जो कि विद्युत विभाग के प्रांक्कलन का मात्र 35.53 प्रतिशत ही है, में कार्य पूर्ण हो गया था।

F. सहरिया आदिवासी परिवारों को इससे लाभ हुआ है और वे आज खुशहाल होकर अपना कृषि कार्य करते हुए लाभार्जन कर रहे हैं।

G. इस योजना में सहरिया आदिवासियों को शासन से प्राप्त होने वाली सहायता का सदुपयोग हुआ है और कम राशि में अधिकतम लाभ उन्हें प्राप्त हो रहा है जो कि सराहनीय और अनुकरणीय पहल है।

H. कलेक्टर श्योपुर की इस योजना का विस्तृत विवरण है, अलग से संलग्न है।

61) श्री पी.एल.सोलंकी, आई.ए.एस कलेक्टर, श्योपुर द्वारा अनुसूचित जनजाति के कृषकों को उद्वहन सिंचाई एवं पेयजल समितियों के माध्यम से लाभांवित किये जाने हेतु यह योजना अत्यन्त ही सराहनीय और व्यावहारिक है। इसी सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के आदिवासी गरीब, किसानों के लिये लागू किया जाना उपयुक्त है। इस संबंध में आयोग स्तर से समुचित कार्यवाही किया जाना उपयुक्त होगा।

62) कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत प्रगति के एजेण्डे के अनुसार समीक्षा की गई। आवश्यकतानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये निर्देश प्रदान किये गये।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

63) अधिकरियों से सहरिया एवं अन्य जनजातियों के विकास के लिये अपने सुझाव देने के लिये कहा गया जिसमें एक अधिकारी ने सुझाव दिया कि सहरिया जनजाति के व्यक्तियों को नियुक्ति के मूल नियमों में छूट दी जानी चाहिए तथा आवश्यकतानुसार जो प्रशिक्षण नियुक्ति पूर्व मांगे जाते हैं वे नियुक्ति उपरांत प्रदान किये जाते हैं तो इसका लाभ उन्हें हो सकता है। उदाहरण के तौर पर शिक्षक के लिये बी.एड एवं डी.एड. के प्रशिक्षण सेवा के में नियुक्ति के उपरांत विभागीय तौर पर भेजकर कराए जा सकते हैं। **यह सुझाव अच्छा एवं विचारणीय है इस पर कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की जाती है।**

64) कलेक्टर द्वारा अवगत कराया गया कि जिले में अब तक 564 सहरिया एवं अन्य व्यक्तियों की भूमि पर अवैध कब्जे का हटाकर वास्तविक भूमिस्वामी को उसका कब्जा दिलाया गया है। साथ ही इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर की जा रही है।

65) वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुल 9471 आवेदन प्राप्त हुए हैं उनमें से 3149 को अनुमोदित कर पट्टा प्रदान कर दिया गया है तथा 6322 आवेदन पत्र काबिज नहीं होने तथा अन्य कारणों से निरस्त किये गये हैं। इसमें निर्देशित किया गया कि जिस भी व्यक्ति को भूमि का पट्टा दिया जाता है उसे तत्काल भूमि का सीमांकन कर कब्जा भी दिया जावे ताकि वह वास्तविक रूप से उसका स्वामी बनकर उपभाग कर सके।

66) महिला विकास विभाग के अधिकारी द्वारा सुझाव दिया गया कि जिले में बाल संरक्षण गृह खोला जावे ताकि लावारिस रूप से प्राप्त होने वाले बच्चों को उसमें रखा जा सके। वर्तमान में ऐसे बच्चों को ग्वालियर या मुरैना भेजा जाता है।

67) शिक्षा विभाग द्वारा सुझाव दिया गया कि सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में निर्मित होने वाले एकलव्य विद्यालयों में भी जवाहर नवोदय विद्यालयों की भाँति शिक्षक आवास गृह भी निर्मित होने चाहिए ताकि शिक्षक वहाँ रहकर शिक्षण कार्य कर सकें। साथ ही कक्षा प्रथम से बच्चों का प्रवेश होना चाहिए ताकि सम्पूर्ण विकास हो सके।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

68) अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कक्षा पहली से आठवी तक परीक्षा व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है जिससे शिक्षा की गुणवत्ता कम हुई है। परीक्षा अथवा गुणवत्ता मूल्यॉंकन की व्यवस्था होना अनिवार्य है।

69) शिक्षा विभाग द्वारा सुझाव दिया गया कि आदिवासियों के लिये बोर्ड परीक्षाओं द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं की फीस को भी माफ किया जाना चाहिए।

70) आदिवासी विकास विभाग द्वारा सुझाव दिया गया कि आदिवासियों को दी जाने वाली सहायता राशि का सदुपयोग के लिये उसे सहकारिता के माध्यम से कियान्वित किया जाना चाहिए ताकि उसका अधिकतम लाभ हो सके।

अपरान्ह दिनॉंक 21/07/2017 - FRISDAY

71) आदिवासी विकासखण्ड कराहल प्रवास के समय मार्ग में कालीतराई आटा दलिया केन्द्र का निरीक्षण किया गया। इस केन्द्र का संचालन आदिवासियों द्वारा किया जाता है। उल्लेखित है कि यह केन्द्र विगत 5 वर्षो से बन्द था जिसे कि कलेक्टर श्योपुर श्री पी.एल.सोलंकी द्वारा विशेष प्रयास कर प्रारंभ कराया गया है। इस केन्द्र में प्रतिदिन करीब 30 क्विंटल गेहूँ की पिसाई की जा सकती है। जिले में निर्देशित किया गया है कि आसपास के सभी छात्रावासों में लगने वाले गेहूँ के आटे को इसी केन्द्र से पिसाया जावे। छात्रावासों को प्राप्त होने वाला गेहूँ इस केन्द्र में भेज दिया जाता है और इस केन्द्र में कार्य करने वाले सहरिया आदिवासियों द्वारा सफाई कर गेहूँ पीस कर तैयार आटा छात्रावासों को दे दिया जाता है। इसके उपज में केन्द्र को पिसाई के मूल्य प्राप्त होते हैं जिससे केन्द्र की व्यवस्था संचालित होती है और 25-30 आदिवासियों को पार्टटाईम, फुल टाईम के रूप में कार्य भी प्राप्त होता है। यह कार्य अत्यन्त ही सराहनीय एवं अनुकरणीय है। इस प्रकार के केन्द्र अन्य जिलों में भी सहकारिता के माध्यम से स्थापित किये जा सकते हैं। अनुशंसा की जाती है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

72)

(कालीतराई आटा, दलिया पिसाई केन्द्र का निरीक्षण, चर्चा करते हुए सुश्री अनुसुईया उइके)

73) ग्राम कराहल जोकि आदिवासी विकासखण्ड है टाउनहाल परिसर में अनुसूचित जनजाति सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें करीब 3000 अनुसूचित जनजाति के एवं अन्य ग्रामीण उपस्थित हुए।

74) इस क्षेत्र में यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि जाट एवं सरदारों द्वारा आदिवासियों की भूमि पर कब्जा किया गया है। कलेक्टर को निर्देशित किया गया कि इसकी जाँच कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

75) इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा अपने अपने विभाग से लाभांवित होने वाले हितग्राहियों को सामग्री एवं सहायता राशि के चेकों का वितरण किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष जिला पंचायत, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, जन प्रतिनिधि श्री मुकेश मल्होत्रा, सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी आयोग के श्री राकेश दुबे, पत्रकारगण, उपस्थित रहे।

76) कलेक्टर द्वारा सर्वप्रथम उपस्थितों को शासन से प्राप्त होने वाली विभिन्न शासकीय योजनाओं की विस्तार से जानकारी प्रदान की गई और कहा कि वे विधिवत अपने आवेदन कर शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

77) कराहल आदिवासी सम्मेलन में सर्वप्रथम मेरे द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की कार्यप्रणाली, कार्य, अधिकार तथा आयोग द्वारा आदिवासियों को उत्पीड़न, उनके अधिकारों

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

का हनन होने पर किस प्रकार लाभ दिलाया जाता है इत्यादि के संबंध में विस्तार से सभी उपस्थित आम आदिवासी जनों को जानकारी प्रदान की गई।

78)

(कराहल अनुसूचित जनजाति सम्मेलन में जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सुश्री अनुसुईया उइके)

79) अपने मार्गदर्शन में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आदिवासियों की भूमि से अवैध कब्जों को सख्ती से हटाया जावे, प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत आदिवासियों को इसका अधिकतम लाभ दिया जावे, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आदिवासियों को क्षेत्र में कैम्प लगाकर राशन कार्ड का वितरण, पात्रता अनुसार सभी प्रकार की पेंशन सहायता तथा परिवार सहायता तत्काल प्रदान की चाहिए। इसके साथ ही जिन आदिवासियों के साथ अपराध होते हैं उनका उत्पीड़न होता है उनमें एट्रोसिटी एक्ट के तहत पुलिस में रिर्पाट दर्ज करें ताकि उन्हें सहायता मिल सके और दोषियों को इसकी कठोर से कठोर सजा मिले।

80) विभिन्न शासकीय योजनाओं में प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता के अंतर्गत उज्जवला योजनांतर्गत रसोई गैस कनेक्शन एवं चूल्हा 54 हितग्राहियों को, वनाधिकार अधिनियम के तहत 8 व्यक्त्तियों को पट्टा, पेंशन राशि 52 हितग्राहियों को, राष्ट्रीय परिवार सहायता 4 हिंतग्राहियों को, राजस्व विभाग द्वारा भू-ऋण पुस्तिका 26 हितग्राहियों को, बीज दवाई उपकरण वितरण 35 हितग्राही, उद्यानिकी की किट 2000 हितग्राहियों को तथा स्वच्छता किट का भी वितरण किया गया।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

81)

(कराहल में हितग्राही मूलक योजनाओं में सामग्री का वितरण करते हुए सुश्री अनुसुईया उइके)

82) **सहरिया जनजाति** के युवक युवतियों द्वारा बहुत बड़ी तादाद में पृथक से मिल कर अपनी समस्या से अवगत कराया गया जोकि पुलिस विभाग मध्यप्रदेश द्वारा व्यापम के माध्यम से निकाली गई भर्ती में सहरिया, बैगा, भारिया जनजाति के व्यक्तियों को सीधे नियुक्ति का लाभ प्रदान नहीं करने के संबंध में।

83) इस भर्ती की विज्ञप्ति तथा तथा उसके उपरांत हुई विसंगति का विवरण इस प्रकार से है :-

1. व्यापम द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार आरक्षक (विभिन्न श्रेणी) के पदों के लिये आनलाईन आवेदन पत्र दिनाँक 8-6-2017 से 7-7-2017 तक की अवधि में आमंत्रित किये गये।
2. इस विज्ञप्ति में प्रसारित आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2017 के लिये विभागीय नियम पुस्तिका के पृष्ठ कमांक 46 कंडिका 2.35 बैगा, सहरिया, भारिया जनजातियों के अभ्यार्थियों के लिए आवेदन प्रकिया निर्धारित / घोषित की गई है। **प्रतिवेदन संलग्नक परिशिष्ठ अ।**
3. कंडिका 2.35 के अनुसार बैगा, सहरिया, भारिया जनजाति के उम्मीदवारों को जो निर्धारित पात्रता रखते हों, वे अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत अपने आवेदन पत्र, आवेदन भरने की प्रस्तावित अंतिम तिथि तक हार्डकापी में समस्त आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करते हुए सीधे नियुक्ति संबंधी कार्यवाही हेतु संबंधित विभाग को प्रेषित करेगें। **प्रतिवेदन परिशिष्ठ अ।**

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

4. उक्त संवर्गो के प्रत्याशियों द्वारा व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड अर्थात व्यापम भोपाल को प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य माना जावेगा।

5. व्यापम का पत्र जो कि संबंधित पुलिस अधीक्षकों को पत्र कमांक पीईबी/5प-1/4978/ 2017 दिनाँक 11 जुलाई 2017 के द्वारा सूचित किया गया कि पुलिस मुख्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार विभाग के सभी पद कार्यपालिक हैं। अतः सहरिया, बैगा, भारिया जनजाति के उम्मीदवारों पर आरक्षण के अंतर्गत भर्ती हेतु विशेष प्रावधान लागू नहीं होगें, आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण हैं, अतः विभाग को सीधे प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र अमान्य हैं। **प्रतिवेदन परिशिष्ठ ब।**

6. साथ ही यह भी सूचित किया गया कि उक्त परिस्थितियों में आनलाईन आवेदन हेतु केवल उक्त तीनों जनजाति के उम्मीदवारों के लिये अवधि 12/7/2017 से 22/7/2017 तक बढ़ाई जाती है, इसकी सूचना सभी संबंधित उम्मीदवारों को एस. एम. एस तथा पत्र के माध्यम से सूचित किया जा रहा है।

7. उल्लेखित है कि उक्त स्थिति में सहरिया, बैगा, तथा भारियों जनजाति के पात्र आवेदकों के विशेष भर्ती प्रावधान के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का हनन हो रहा है और वे शासन के लाभों से वंचित हो रहे हैं।

8. **जबकि मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) भोपाल, शनिवार, दिनाँक 2 अगस्त 2014 में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार "4-ख. आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंध - यदि जिला श्योपुर, मुंरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर, की सहरिया आदिम जनजाति जिला मंडला, डिण्डोरी, शहडौल उमरिया, बालाघाट, तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिन्दवाडा के तामिया विकासखण्ड की भारिया जनजाति का है, संविदा शाला शिक्षक या तृतीय / चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिये या वन रक्षक (कार्यपालिक) के लिये आवेदन करता है और उस पद के लिये विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती प्रकिया को अपनाए बिना उक्त भद पर नियुक्त किया जाएगा।" प्रतिवेदन परिशिष्ठ स।**

9. इस संबंध में आयोग को आवेदकों, संबंधित संस्थाओं से ज्ञापन भी प्राप्त हुआ है। जिसे आयोग में पूर्व में भी प्रस्तुत किया गया है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

10. मैंने संपर्क एवं चर्चा में महसूस किया है कि इससे श्योपुर जिले के **सहरिया युवक-युवतियों में भारी रोष व्याप्त है।** उनके द्वारा श्योपुर से भोपाल राजभवन तक पैदल यात्रा की योजना भी बनाई है, और किसी भी आन्दोलन का मन बनाया जा रहा है। इससे कानून एवं व्यवस्था की स्थिति भी विगडने की संभावना है।

11. मुख्य बिन्दु विचारणीय यह है कि यदि सभी से आवेदन लानलाईन ही मंगाने थे और उन्हें विशेष भर्ती का लाभ नहीं मिलना था तो विज्ञापन प्रसारण के समय ही इस बात का ध्यान रखते हुए प्रावधान किया जाना चाहिए था जबकि ऐसा नहीं किया गया जिसकी वजह से इनमें रोष व्याप्त हुआ है।

12. इसके साथ ही आनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने के लिये इतना कम समय प्रदान करना उपयुक्त नहीं है। क्योंकि इस वर्ग के आदिवासी दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं और उनके पास आनलाईन आवेदन करने के लिये सुविधा नहीं होती है।

13. सहरिया, बैगा एवं भारिया जनजाति की उक्त समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए तत्काल पुलिस विभाग की भर्ती में विशेष उपबंध का लाभ जो कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के कमांक-एफ 6-1/2002/आ.प्र./एक भोपाल दिनॉंक 23/5/2014, **प्रतिवेदन संलग्न परिशिष्ठ द,** के द्वारा किया गया है प्रदान किया जाना आवश्यक है।

14. मेरे एवं जिला प्रशासन के कलेक्टर द्वारा सहरिया जनजाति के युवकों में व्याप्त आक्रोश को शांत करने का प्रयास किया गया है। सभी को आश्वस्त किया गया कि नियमानुसार हर संभव प्रयास किया जावेगा।

15. सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति में फैल रहे असंतोष को समाप्त करने और उन्हें शासन की नीति का लाभ दिलाने के लिये तत्काल आयोग से आवश्यक कार्यवाही किया जाना अति आवश्यक है। कार्यवाही की अनुशंसा की जाती है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

84)

(कराहल में सहरिया जनजाति के पुलिस भर्ती में विसंगति के संबंध में चर्चा करते हुए सुश्री अनुसुईया उइके)

85) कराहल चिकित्सालय में भी प्रसूता महिलाओं को सहायता राशि के चेकों का वितरण किया गया। साथ ही आदिवासी विभाग द्वारा निर्मित कराए जा रहे विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया गया। इसके साथ ही साथ ग्रामीण गरीब सहरिया जनजाति के व्यक्तियों को बीमारी के समय घर से अस्पताल तक लाने ले जाने के लिये रोगी वाहन को लोकार्पित किया गया।

86) श्योपुर जिले के आवेदकों द्वारा प्राप्त आवेदन / अपील को सीधे कलेक्टर को सौंपते हुए निर्देशित किया गया कि वे इनपर तत्काल समुचित कार्यवाही करते हुए प्रकरणवार स्थिति से आयोग को 15 दिवस में अवगत करावें।

87) कार्यक्रम उपरांत कराहल शिवपुरी से सड़क मार्ग ग्वालियर के लिये प्रस्थान किया गया एवं निर्धारित समय पर रेलमार्ग से दिल्ली प्रस्थान तथा दिनाँक 22 जुलाई 2017 को प्रातः दिल्ली आगमन।

प्रवास के प्रमुख तथ्य एवं अनुशंसाएँ

जिला शिवपुरी

A. शिवपुरी एवं श्योपुर जिले के सहरिया जनजाति के व्यक्तियों को मिलने वाली सभी लाभ प्राथमिकता के आधार पर दिये जाने सुनिश्चित किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

B. जनजातियों को प्रधानमंत्री आवास आवंटन, वनाधिकारी अधिनियम के तहत आवास एवं खेती के पट्टे, सामुजिक सुरक्षा पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता राशि, जमीनों से अवैध कब्जे तत्काल हटाए जाना, गरीबी तथा अति गरीबी रेखा की सूची में नाम शामिल करने की कार्यवाही तत्काल करने की अनुशंसा की जाती है।

C. ग्राम विनेगा तहसील जिला शिवपुरी स्थान पर श्री बज्रानन्द द्वारा आश्रम निर्माण कर चारदीवारी बनाकर मंदिर का रास्ता, चारागाह बंद कर दिया गया है जिससे आदिवासियों को परेशानी होती है। आदिवासियों को उक्त भूमि से बेदखल करने, डराने धमकाने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य को तत्काल रोकने एवं आश्रम को गलत तरीके से आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त किया जावे।

D. शिवपुरी जिले के उपराक्त वर्णित समस्त आवेदनों पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही कराए जाने की अनुशंसा की जाती है।

<u>जिला श्योपुर</u>

E. श्री पी.एल.सोलंकी, I.A.S. कलेक्टर, श्योपुर द्वारा सहरिया आदिवासियों के उत्थान के लिये उनके पूर्व के कार्यकाल में संचालित **<u>समूह सिंचाई योजना</u>** जिसका विवरण संलग्न किया गया है, का परीक्षण संबंधित विभाग शासन से कराते हुए कियान्वित करने की अनुशंसा प्रदेश शसन से की जाती है।

F. मध्यप्रदेश पुलिस विभाग द्वारा व्यापम के माध्यम से निकाली गई भर्ती में सहरिया, बैगा, भारिया जनजाति के व्यक्तियों को सीधे नियुक्ति का लाभ प्रदान नहीं करने के संबंध में तत्काल उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही की अनुशंसा मध्यप्रदेश शसन से की जाती है।

G. जिला श्योपुर तहसील कराहल ग्राम कालीतराई के आटा दलिया केन्द्र जैसे केन्द्रो अन्य स्थानों पर भी प्रारंभ कराए जा सकते हैं परीक्षण करवाकर ऐसे केन्द्रों को स्थापित कराने की अनुशंसा की जाती है।

H. सभी जिलों में दंबगों द्वारा आदिवासियों की भूमियों पर किये गये कब्जे को हटाकर वास्तविक आदिवासी को प्रदान करने की कार्यवाही में गति लाए जाने की

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अनुशंसा मध्यप्रदेश शासन से की जाती है। इस संबंध में श्योपुर कलेक्टर की भांति प्रबल इच्छाशक्ति के साथ करने के निर्देश दिये जावें।

I. वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत दिये जाने वाले अभिलेख (पट्‌ट) प्रदान करने के साथ ही साथ उसका सीमांकन एवं कब्जा दिलाने की कार्यवाही भी तत्काल किये जाने के निर्देश मध्यप्रदेश सहित सभी सरकारों को दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

सुश्री अनुसुईया उइके
उपाध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकारनई दिल्ली

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

स्थान – नई दिल्ली
दिनाँक– 25 जुलाई 2017